नायडू
भा.प्र.से.
युक्त

महो०
के
हस्ता०

अद्ध शास. पत्र क्र. /विद्या/3/09/ 118

दूरभाष आफिस : 0755 - 2583653
निवास : 0755 - 2430450
फैक्स : 0755 - 2583651
ई–मेल : cpibhop@mp.nic.in

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
गौतम नगर, भोपाल - 462023

दिनांक 26-2-2009

प्रति
समस्त प्राचार्य
हाईस्कूल / हायरसेकेण्ड्री स्कूल
मध्यप्रदेश

आपको यह विदित ही है कि शिक्षण सत्र 2009–10 आगामी 01 अप्रेल से प्रारंभ होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया यह कदम शैक्षणिक गुणवत्ता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा ऐसी अपेक्षा है।

गतवर्षो में आपके द्वारा किये गये प्रयासों से हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री स्कूल के परीक्षा परिणाम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा शासकीय संस्थाएं प्रायवेट संस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकीं हैं इसका श्रेय आपके द्वारा किये गये सार्थक प्रयासों को जाता है। इसके लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं।

सत्र का प्रारंभ सुव्यवस्थित ढंग से हो सके इसके लिए आपको जोश, जज़्बा और जुनून के साथ सन्नद्ध होना होगा तभी हम इसे अपनी इच्छानुरूप परिणित कर सकेंगे तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षण सत्र के प्रारंभ के साथ हमारे दायित्वों में बढ़ोतरी तो हुई ही है अनेक ऐसे कार्य भी हैं जिनका संपादन हमें समय के पूर्व ही सुनिश्चित करना होगा तभी हम सफल हो सकेंगे। आपके द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य इसप्रकार हैं:–

1. **शालावार वार्षिक कार्ययोजना:–**

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विद्यालय की कार्ययोजना तैयार करना सुनिश्चित किया जाये जिसमें आगामी वर्ष की संपूर्ण शैक्षणिक रणनीति का समावेश किया जाये। इस वर्ष यह कार्य 15 मार्च तक कर लिया जाये। कार्ययोजना में प्रमुख रूप से मासिक मूल्यांकन, निदानात्मक

कक्षाओं का आयोजन, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षण में नई तकनीकों का उपयोग, तिमाही, छमाही परीक्षा का अधिभार आदि का उल्लेख किया जाये। मई एवं जून माह की कार्ययोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया जाये जिसमें विद्यालयों की रंगाई पुताई, फर्नीचर की रिपेयरिंग, खराब हो चुकी सामग्री का अपलेखन, अन्य सामग्री का भौतिक सत्यापन, निःशक्त बालकों के लिए रेम्प निर्माण, अग्नि दुर्घटना हेतु उपाय, फर्नीचर की व्यवस्था आदि का समावेश किया जाये।

1. प्रवेश प्रकिया प्रारंभः—

विद्यार्थियों के प्रवश की प्रकिया मार्च में प्रारंभ कर दी जाये।

2. समय विभाग चक्र तैयार करनाः—

30 मार्च के पूर्व समय विभाग चक्र जारी कर दिया जाये। समय विभाग चक्र निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाये कि उसमें खेल एवं योग का विशेष कालखण्ड अनिवार्यतः शामिल हो।

4. छात्र कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयनः—

राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों के हितार्थ संचालित की जा रही विभिन्न छात्रकल्याणकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके इस हेतु इन योजनाओं का सुव्यवस्थित कियान्वयन किया जाये। यह भी सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं को प्रचार–प्रसार की दृष्टि से विद्यालय के किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया जाये। प्रमुख योजनाएं इसप्रकार हैं:—

4.1 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरणः—

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा 25 मार्च तक उपलब्ध करा दी जायेंगीं अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी विद्यार्थियों को 01 अप्रेल को पाठ्यपुस्तकों के सेट प्राप्त हो जायें।

4.2 निःशुल्क साइकिल वितरणः—

निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान प्रवेश के साथ ही कर ली जाये तथा साइकिल हेतु नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये।

4.3 छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र भरवानाः–

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा "छात्र कल्याणकारी योजनाएं" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गयी है जिसमें सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की विवरण दिया गया है। इसका अध्ययन कर लें तथा विद्यार्थियों के प्रवेश के दौरान ही उनकी पात्रता जिस छात्रवृत्ति के लिए आती है उसका निर्धारण कर लिया जाये तथा नियमानुसार आवेदन पत्र भरवा लिये जायें। पात्रतानुसार छात्रों की संख्यात्मक सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि समय पर राशि जारी की जा सके।

यह भी ध्यान रखा जाये कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुरस्कार योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों की सूची संचालनालय को भेजी जाना है तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत विषय लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र सीधे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को भिजवाना है।

4.4 विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनाः–

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन कर लें तथा प्रवेश के दौरान ही विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दे दें। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में भी इस योजना के प्रति पालकों को अवगत करा दें।

4.5 गणवेशः–

कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जाता है। शिक्षण सत्र के प्रारंभ से ही गणवेश की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।

4.6 मध्याह्न भोजनः–

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। समय–समय पर इसकी गुणवत्ता का स्वयं परीक्षण किया जाये।

4.7 रेन वाटर हार्वेस्टिंगः–

प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। 02 अप्रेल से पूरे प्रदेश में पानी रोको अभियान शुरू किया जायेगा तथा तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें गहरा किया जायेगा। इन कार्यों में विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

4.8 हरियाली अभियानः–

पर्यावरण को बचाने में वृक्षों का सर्वाधिक योगदान होता है। अतः वृक्षों को अपना मित्र बनाने तथा उन्हें अधिक से अधिक रोपने की दृष्टि से विद्यालयों में हरियाली अभियान संचालित किया जाये। इस हेतु विद्यार्थियों को यह प्रेरणा दी जाये कि वे विद्यालयों में तथा घरों में अधिक से अधिक पौधे लगायें।

4.9 शौचालयों की व्यवस्थाः–

प्रत्येक विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए पृथक्–पृथक् शौचालयों की व्यवस्था की जाये। इनकी साफ–सफाई का भी नियमित रूप से ध्यान रखा जाये।

4.10 स्वच्छ पेयजलः–

विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि बच्चों को घर से पानी की बोतल न लाना पड़े। इस हेतु पालक शिक्षक संघ से अनुमोदन उपरान्त वाटर कूलर तथा एक्वागार्ड की व्यवस्था की जा सकती है।

5. विषय शिक्षकों तथा प्राचार्यों का प्रशिक्षणः–

जून माह में विषयवार शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा इस हेतु प्रथम चरण में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा प्रशिक्षण में व्याख्याता/शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। इसीप्रकार मई माह से प्राचार्यों का दूरवर्ती प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है उल्लेखनीय है कि अनेक नये प्राचार्यों ने पदभार ग्रहण किया है अतः प्रशिक्षण में प्रशासनिक विषयों का समावेश किया जायेगा। यह उचित होगा कि सभी प्राचार्य पूर्व से ही मूलभूत नियम, अवकाश नियम, वित्तीय नियम तथा भण्डार क्रय नियम आदि का अध्ययन करलें ताकि प्रशिक्षण में सुगमता हो सके।

6. नामांतरणः—
समय समय पर किये गये निरीक्षणों में यह बात स्पष्ट हुई है कि अभी भी अनेक विद्यालयों की भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है अतः ग्रीष्मावकाश में इस हेतु विशेष प्रयास करके नामांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7. कक्षा 9वीं एवं 11वीं के छात्रों की विषयवार संख्या की जानकारीः—
प्रवेश समाप्ति के उपरान्त कक्षा 9वीं एवं 11वीं के प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची 30 सितम्बर की स्थिति में आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भेजी जाती है उसकी एक प्रति "कक्षा 9वीं एवं 11वी की परीक्षा के निर्देश" के अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी को तथा एक प्रति उसी प्रारूप में साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्यतः भेजी जाये।

8. वार्षिकोत्सवः—
विविध पाठ्यसहगामी गतिविधियों, वार्षिकोत्सव आदि का आयोजन 31 दिसम्बर के पूर्व ही किया जाये। किसी भी आयोजन में एक दिन से अधिक अध्ययन—अध्यापन प्रभावित नहीं होना चाहिए।

9. मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालनः—
मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा समय समय पर बस्ते के बोझ तथा बच्चों को शारीरिक दण्ड न देने के संबंध में निर्देश दिये हैं विद्यालयों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

10. शालावार ग्रेडिंगः—
गतवर्ष विद्यालयों हेतु सूचकांकों का निर्धारण किया गया था उन सूचकांकों के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग कर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाये ताकि सम्पूर्ण जिले की भी ग्रेडिंग की जा सके।

11.नेत्र परीक्षण एवं मुख परीक्षणः—

विद्यालयों में विगत वर्षों में किये गये नेत्र परीक्षण एवं मुख परीक्षण के सार्थक परिणाम सामने आये हैं। इस वर्ष भी यह योजना संचालित की जाये।

12. पालक शिक्षक संघ की बैठकों का आयोजनः—

संचालनालय द्वारा जारी पालक शिक्षक संघ की नियमावली के अनुसार पालक शिक्षक संघ का गठन किया जाये। आवश्यकतानुसार इसकी बैठकें आयोजित की जायें।

13.पाठ्यसहगामी गतिविधियों का आयोजनः—

संचालनालय द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर में दी गयी पाठ्यसहगामी समस्त गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

हम आशा करते हैं कि आगामी शिक्षण सत्र हेतु आप अपनी पूरी रुचि, परिश्रम, निष्ठा और लगन के साथ कार्य करेंगे। आपकी इच्छाशक्ति शैक्षिक अभ्युत्थान योजना को एक नई दिशा एवं ऊंचाई प्रदान करेगी। हमारा भी यह प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं का यथासमय निदान हो ताकि आप पूरे मनोयोग से अपने अभियान में जुट सकें।

शुभकामनाओं सहित

(बी. आर. नायडू)